



# जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JMC

क्रमांक- 11636

श्री राजेश परिहार पुत्र श्री कंवरलाल परिहार  
बूखण्ड सं. 32-ए/1, नौवीं ए फाल रोड, बच्चराज जी का बाग, जोधपुर।

दिनांक- 13-11-2020  
(E.T.) 63/2020-21

## ::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।

प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के

प्रस्ताव संख्या 16 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति भिन्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

- 1 बलकॉनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेंगे।
- 2 पट्टीसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि चतुर्भुजा दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 छालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 नविष्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
- 8 नवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के परवात पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के बूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-नविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

15 नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.18(38)नविधि/जयपुर/2017 पार्ट दिनांक 12 मई 2020 के सहित बैटरमेन्ट लेवी के तीन चैक (चैक सं. 062009 दिनांक 27.02.2021 ₹0 1,31,475/-, चैक सं. 062010 दिनांक 27.05.2021 ₹0 1,31,475/- व चैक सं. 062011 दिनांक 27.08.2021 ₹0 1,31,476/-) लेखा शाखा में जमा हैं। तय तीथी तक चैक अस्वीकार होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलभित अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परकाम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 500/- जांच शुल्क- 670/- कुल राशि- 1,170/- जरिये रसीद संख्या 1028/354 दिनांक 23.01.2020, भवन निर्माण शुल्क- 1,000/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 1,673/- विकास एवं सधारण शुल्क- 4,910/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 2,509/- मलबा शुल्क- 1,000/- उपकर- 12,889/- बैटरमेन्ट लेवी- 99,000/- कुल राशि- 1,22,961/- जरिये रसीद संख्या 069/2225 दिनांक 13.11.2020 एवं सुरक्षा व अमानत राशि- 1,500/- जरिये रसीद संख्या 9069/2226 दिनांक 13.11.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि यदि स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के परधाल मलबा इक पर पूर्या गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

उपायुक्त

नगर निगम दक्षिण, जोधपुर